न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 15/2024 – निगरानी

1. शंकर लाल पुत्र मोहन लाल बनाम भाट, निवासी पण्डेर, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. ब्रह्मप्रकाश पुत्र मोहन लाल भाट, निवासी पण्डेर, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
3. रामलाल पुत्र मोहन लाल भाट, निवासी पण्डेर, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
4. कालु लाल पुत्र मोहन लाल भाट, निवासी पण्डेर, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।

–निगराकार

1. ग्राम पंचायत पण्डेर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. दुर्गालाल पुत्र राजमलभाट, निवासी पण्डेर, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत पण्डेर स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक पंचायत/2016/70 दिनांक 05.05.2016 बैठक दिनांक 05.05.2016 प्रस्ताव संख्या 24

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – निगराकारान की ओर से
2. श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकर संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.05.2024

1. निगराकारान् की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध गैर निगराकारान् के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा निगराकारान के दादा जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट निवासी पण्डेर के पक्ष में मिसल संख्या 16 भूमि विक्रय दिनांक 18.02.1975 आज्ञा संख्या 1212 दिनांक 17.05.1975 द्वारा 751/– रूपये में साईज 60 फीट बाई 40 फीट कुल 2400 वर्गफीट भूमि का एक पट्टा दिनांक 07.01.1976 को का जारी किया। जिसके पूर्व में सहकारी समिति का गोदाम, पश्चिम में पड़त सरकारी वर्तमान गनी मोहम्मद पिता चांद पिनारा का मकान, उत्तर जहाजपुर व शाहपुरा रोड़ (देवली–भीलवाड़ा रोड़) दक्षिण में तालाब बगरवाल की पाल है। पट्टा दिनांक से उक्त भूमि पर निगराकारान् के दादा–पिता और निगराकारान काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगराकारान् के दादा–पिता पट्टे की भूमि पर आगे तीन दुकाने तथा बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। निगराकारान् के दादा जगन्नाथ और पिता मोहन

जिला कलक्टर
शाहपुरा

भाट की मृत्यु हो चुकी है। निगराकारान् स्व0 जगन्नाथ व मोहन भाट के एकमात्र उत्तराधकिारी है। निगराकारान को भुखण्ड पर पूर्ण अधिकार है। गैर निगराकार संख्या 01 ग्राम पंचायत पण्डेर के तत्कालीन सरपंच सचिव द्वारा निगराकारान के स्वामित्व की भूमि व दुकानों को हड़पने के लिये निगराकार के पट्टे की भूमि का गैरनिगराकार संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 05.05.2016 को स्वामित्व प्रमाण–पत्र जारी कर दिया। इस स्वामित्व प्रमाण–पत्र की के आधार पर गैर निगराकार संख्या 02 ने अपने पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा लिया। जबकि ग्राम पंचायत को पंचायत राज नियमों के तहत स्वामित्व प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । निगराकारान् और उसके दादा, पिता ने गैरनिगराकार संख्या 02 के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में पंचायत बैठक दिनांक 05.05.2016 के प्रस्ताव संख्या 24 से जारी स्वामित्व प्रमाण–पत्र क्रमांक /पंचायत/2016/70 दिनांक 05.05.2016 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रस्तुत निगरानी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 05.01.2022 को दायर की जाकर दिनांक 04.01.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गए। उभयपक्षों की ओर से अधिवक्ता गण द्वारा अधिकार पत्र पेश किये गये।

3. गैरनिगराकार संख्या 1 की ओर से दिनांक 07.04.2022 को जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में गैरनिगराकार संख्या एक ग्राम पंचायत पण्डेर ने जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट के पक्ष में मिसल संख्या 16 भूमि विक्रय मिसल दायर दिनांक 18.02.1975 द्वारा दिनांक 07.01.1976 को एक पट्टा साईज 60 गुणा 40 फीट का निगरानी में वर्णित पड़ौस का पट्टा जारी करना बताया तथा पट्टा जारी करने की दिनांक से ही पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं रहना तथा फिर भी ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच व सचिव ने नियम विरूद्ध जगन्नाथ भाट के पट्टे की भूमि दुर्गालाल पुत्र राजमल भाट निवासी पण्डेर के पक्ष में दिनांक 05.05.2016 को स्वामित्व प्रमाण–पत्र जारी करना बताया है जो नियम विरूद्ध जारी करना व पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत को किसी भूमि का स्वामित्व प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होना बताया तथा उक्त स्वामित्व प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि विपक्षी/गैरनिगराकार संख्या दो की ओर से दिनांक 18.03.2024 को जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में गैरनिगराकार संख्या 02 द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्य जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट के पक्ष में दिनांक 07.01.1976 को उक्त नाप व पड़ौस की भूमि का पट्टा जारी किया जाना स्वीकार किया, किंतु पट्टे की भूमि पर निगराकारान के दादा, पिता व निगराकारान् काविज हो उपयोग–उपभोग करना अस्वीकार किया। उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड को पट्टाधारक जगन्नाथ के द्वारा दिनांक 04.05.1982 को गैर निगराकार संख्या 02 को विक्रय कर देने से दिनांक 04.05.1982 से ही गैर निगराकार संख्या 02 बहैसियत मालिक काविज चला आ रहा है। निगराकारान् के दादा व पिता ने उक्त पट्टेशुदा भूमि पर तीन दुकाने व वाउण्ड्र वाल का निर्माण नहीं कराया। बाकी वर्णित निगरानी के समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया। गैर निगराकार संख्या 01 ग्राम पंचायत पण्डेर ने निगराकार संख्या 02 के उक्त भुखण्ड पर काविज होने से तथा पट्टेशुदा भूमि पंचायत क्षेत्र की होने से विधि व

जिला कलक्टर
शाहपुरा

नियमानुसार स्वामित्व प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.2016 जारी किया गया। निगराकार के दादा श्री जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट के द्वारा दिनांक 04.05.1983 को विक्रय पत्र गैर निगराकार संख्या दो के पक्ष में निष्पादित किया गया था। जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट निवासी पण्डेर के द्वारा वादग्रस्त स्वामित्व प्रमाण–पत्र वाला भूखण्ड दिनांक 04.05.1982 को 5000/– रूपये में गैरनिगराकार संख्या 2 को विक्रय कर भुखण्ड का कब्जा गैरनिगराकार संख्या 02 को संभला दिया। जिसकी लिखतम भी दिनांक 04.05.1982 को की गई। उक्त भुखण्ड खरीदने के बाद गैरनिगराकार संख्या 02 ने दिनांक 21.11.1996 को भुखण्ड में लगे सुखे बंबूल को निकालने के लिये नियमानुसार ग्राम पंचायत पण्डेर में 181/– रूपये जरिये रसीद संख्या 807 से जमा करवाकर बंबूल को निकवाया। गैरनिगराकार संख्या 02 ने वादग्रस्त स्वामित्व प्रमाण–पत्र वाला भुखण्ड खरीदने के पश्चात उक्त भुखण्ड पर निर्माण कराने हेतु पूर्व में दिनांक 07.03.1998 को एक प्रार्थना–पत्र निर्माण स्वीकृति बाबत ग्राम पंचायत पण्डेर के समक्ष प्रस्तुत कर तीन दुकानें, तीन पोल, 13 टोडियां तथा पोल में एक जंगला भुखण्ड के पूर्व दिशा में रखने की स्वीकृति चाही गई। उक्त प्रार्थना–पत्र व नक्शा फीस हेतु कुल 35/– रूपये जरिये रसीद संख्या 18 से जमा करवाये गये। जिस पर ग्राम पंचायत पण्डेर के द्वारा दिनांक 10.03.1998 को इंतजामी पत्रावली संख्या 32 कायम कर दिनांक 15.09.1999 को 13 टोडिया व 06 गेट बनाने की स्वीकृति नियमानुसार गैर निगराकार संख्या दो दी गई। जिसके 280/– रूपये जरिये रसीद संख्या 65 दिनांक 05.10.1999 से जमा कराये। निर्माण स्वीकृति मिलने के पश्चात गैरनिगराकार संख्या 02 ने भुखण्ड पर निर्माण कराने हेतु कारीगर नाथुलाल पुत्र मांगीलाल रेगर निवासी पण्डेर को निर्माण हेतु ठेका दिया गया। जिसने भुखण्ड पर उक्तानुसार दुकानों का व अन्य निर्माण कराया और गैरनिगराकार संख्या 02 ही उक्त भुखण्ड व दुकानों का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। गैरनिगराकार संख्या 02 के द्वारा दिनांक 28.07.1999 को ग्राम पंचायत पण्डेर में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त मकान के सामने अस्थायी छपरा बनाने हेतु अनुमति ली। जिसके 10/– रूपये भी गैरनिगराकार संख्या दो के द्वारा जरिये रसीद संख्या 95 दिनांक 30.08.1999 को जमा करवाये गये। जिस पर अस्थायी छपरा बनाये जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति दिनांक 15.09.1999 को दी गई। छपरे का किराया 30/– रूपये मासिक कोरम के द्वारा सर्वसम्मति से रखा गया। उक्त छपरे को हटाये जाने हेतु सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड जहाजपुर द्वारा एक सूचना–पत्र 21.05.2000 तथा 05.08.2000 को गैरनिगराकार संख्या 02 को जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 02 के द्वारा अपनी क्रयशुदा उक्त पट्टे वाली जगह पर विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु वर्ष 1998 में आवेदन किया जिस पर सहायक अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जहाजपुर के द्वारा गैरनिगराकार संख्या 02 के नाम कनेक्शन ऑर्डर जारी किया गया। जिसका उपयोग गैरनिगराकार संख्या 2 व उनके परिजन द्वारा किया जा रहा है। गैरनिगराकार संख्या दो के द्वारा उक्त जायदाद में नल कनेक्शन जलदाय विभाग से वर्ष 2000 से ले रखा है। गैर निगराकारान द्वारा भुखण्ड पर तीन दुकानों का निर्माण करने के वाद उक्त दो दुकानों को किराये पर देने से किरायेदारान के उपयोग–उपभोग में चली आ रही है। श्री मदनभाट वाली दुकान पर उनके वारिसान बैठकर व्यवसाय कर रहे है। दुर्गालाल वाली दुकान सन 2020 से पोस्ट ऑफिस वालों के किराये पर चली आ रही है। निगराकारान के पिता मोहन पिता जगन्नाथ भाट द्वारा थाना पण्डेर में जवाबदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जिसमें पुलिस द्वारा विस्तृत जांच करने के बाद मुकदमे में अंतिम रिपोट थाने द्वारा पेश की गई। जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 06.05.2015 को हुई। श्री जगन्नाथ के द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त विक्रय पत्र व विक्रयशुदा भुखण्ड

जिला कलक्टर
शाहपुरा

पर गैरनिगराकार संख्या 02 के चले आ रहे कब्जे को चुनौती नहीं दी व न ही किसी प्रकार की चुनौती विक्रय को दी गई। इस प्रकार स्वीकृत रूप से निगराकारान् को गैरनिगराकार संख्या 02 के पक्ष में किये गये विक्रय व गैरनिगराकार संख्या 02 के कब्जे व उसके द्वारा करवाये गये निर्माण व किये जा रहे उपयोग–उपभोग की जानकारी होने के बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। गैरनिगराकार संख्या 02 को जगन्नाथ के द्वारा मुखण्ड विक्रय करने के समय जायदाद का असल पट्टा भी दिया जाकर कब्जा संभलाया गया परंतु गैरनिगराकार संख्या दो के द्वारा असल पट्टा स्वामित्व प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत पण्डेर में जमा करवा दिया जो गैरनिगराकार संख्या 01 के पास है। निगराकारान के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक वादपत्र इसी जायदाद के संदर्भ में सिविल जज, जहाजपुर के समक्ष कब्जेयाबी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें निगराकारान का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2016 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। अंत में निगराकारान् की निगरानी मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में निगराकारान् अधिवक्ता एवं गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकारन् की ओर से बहस प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि निगराकारान के दादा जगन्नाथ पुत्र सुरजमल भाट निवासी पण्डेर के पक्ष में मिसल संख्या 16 से दिनांक 07.01.1976 को जारी पट्टा आज भी प्रभावी है। विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने को कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 ने जवाब दिनांक 07.04.2022 में स्वयं स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने को कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ4(16) दिशा–निर्देश/विधि/पंस/2016/325 दिनांक 19.04.2017 के अनुसार कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के संबंध में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 इसी आधार पर उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है और स्वामित्व प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता निगराकारन् की ओर से बहस प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा विधि पूर्ण प्रक्रिया के तहत् गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.2016 जारी किया गया है। निगराकारन् अधिवक्ता जिस परिपत्र का हवाला दे रहे हैं वह परिपत्र सन् 2017 में जारी हुआ है जबकि स्वामित्व प्रमाण पत्र सन् 2016 में जारी हुआ। अतः यह परिपत्र स्वमित्व प्रमाण पत्र पर लागू नहीं होता है। अंत मे निगराकार की निगरानी खारिज करने निवेदन किया गया।

7. बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत निगरानी में पट्टा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

निरस्तीकरण की कोई मांग नहीं की गई है। न्यायालय ना तो पट्टा जारी होने के बाद इसके हस्तांतरण व ना ही तत्पश्चात भूमि पर बनी दुकानों, बिजली कनेक्शन की वैधता पर जाना चाहता है। इनका प्रकरण सिविल न्यायलय में भी विचाराधीन है। प्रस्तुत निगरानी में दिनांक 05.05.2016 को गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्तीकरण हेतु निवेदन किया गया है। गैर निगराकार संख्या 01 ने भी स्वयं जाहिर किया है कि ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत स्वयं के स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ4(16) दिशा–निर्देश/विधि/पंस/2016/325 दिनांक 19.04.2017 जारी किया गया था। उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में पंचायत बैठक दिनांक 05.05.2016 के प्रस्ताव संख्या 24 से जारी स्वामित्व प्रमाण–पत्र क्रमांक /पंचायत/2016/70 दिनांक 05.05.2016 प्रारम्भ से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत जारी इस स्वामित्व प्रमाण पत्र को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकारान् की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

8. निगराकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पण्डेर स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक पंचायत/2016/70 दिनांक 05.05.2016 बैठक दिनांक 05.05.2016 प्रस्ताव संख्या 24 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर
शाहपुरा